





1. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
2. वाहन को किसी दुसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
3. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं० अंकित कर समर्पित करेंगे।

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि जुर्माना की उपरोक्त राशि, उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं दो-दो लाख रु० का जमानत बंध-पत्र तथा एक-एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात के आधार पर उपरोक्त जप्त वाहन एवं उस पर लदे गिट्टी (स्टोन चिप्स) को विमुक्त करेंगे तथा इसकी सूचना सभी संबंधित को देंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

  
उपाध्यक्ष,  
गोड्डा। 21/11/23

  
उपाध्यक्ष,  
गोड्डा। 21/11/23

सम्प्रदायिक, गोड्डा

जिला विधि शाखा, गोड्डा

सं० १२०/- 190

दि०-23.11.23

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, गोड्डा/जिला  
खनन पदाधिकारी, गोड्डा का सूचना  
एवं सहायक कारवाही हेतु  
प्रेषित।

  
प्रभारी पदाधिकारी  
जिला विधि शाखा  
गोड्डा  
21/11/23